

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

संख्या 107/2017

पुत्र पूर्णमल जाति मेहतर निवासी बसावा तहसील नवलगढ जरिये मुख्याखवास संदीप पुत्र  
जाति मेहतर निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)

-वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र पूर्णमल
2. ललित पुत्र गोरुराम
3. नरोत्तम पुत्र गोरुराम, जाति मेहतर निवासीगण ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)
4. रामोतारदास चेला लिछमण दास जाति स्वामी निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)
5. अनित कुमार पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
6. कर्णाराम पुत्र भूराराम
7. महेश कुमार पुत्र रामदेवसिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)
8. शाखा प्रबन्धक, ओबीसी बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ।
9. उप-पंजीयक कम तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ

-प्रतिवादीगण

घोषित करवाने बाबत, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन  
निर्णय

निर्णय

निर्णय तिथि 13.06.2018

वाद वादी दिनांक 18.10.2017 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2018/95 दिनांक 11.05.2018 प्रस्तुत किया गया। पत्राक्षी पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर की गई। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना आवश्यक होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अर्थ है- ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 0.30 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 1.17 है0 कित्ता 2 कुल रकबा 1.17 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-  
मुनि खन 917/0.13, 925/0.87 है0 कित्ता 2 कुल रकबा 1.00 है0 का पप्पूराम सुरेश पिता पूर्णमल ललित नरोत्तम पुत्र गोरुराम जाति मेहतर निवासी बसावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुनि खन 894/7.17, 896/2.86, 897/2.55, 900/0.01, 901/0.18, 902/0.05, 917/1/0.17, कित्ता 7 कुल रकबा 12.99 है0 का रामोतार चेला लिछमणदास जाति स्वामी हि0 12.12 है0 राहिन ओबीसी बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन अमितकुमार पुत्र घनश्याम हि0 0.46 है0 महेश कुमार पुत्र रामदेवसिंह दूत हि0 0.2050 है0 दयाराम पुत्र रामदेवसिंह हि0 0.2050 है0 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल में लाया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मजमे शिविर में किया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
 आज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
 दुर्गा प्रसाद मीना ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : घोषणार्थ व दिनांक 24.02.2016 के  
 विक्रय-पत्र वादी के अधिकारो के विरुद्ध नल एण्ड वोइड  
 घोषित करवाने बाबत, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

संख्या- 107/2017 ( पप्पूराम बनाम सुरेश आदि)

मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू डॉ0 नरेन्द्र कुमार थोरी ( आर0ए0एस0),  
 अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण  
 मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.06.2018 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया  
 विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 0.30 है0  
 भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 0.87 है0 किता 2 कुल रकबा 1.17 है0 का निम्नानुसार खातेदार  
 घोषित किया जाता है:-

खसरा नम्बर 917/0.13, 925/0.87 है0 किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 का पप्पूराम सुरेश पिता पूर्णमल  
 जाति गोरुराम पुत्र गोरुराम जाति मेहतर निवासी बसावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता  
 है।  
 खसरा नम्बर 894/7.17, 896/2.86, 897/2.55, 900/0.01, 901/0.18, 902/0.05, 917/1/0.17,  
 कुल रकबा 12.99 है0 का रामोतार चेला लिछमणदास जाति स्वामी हि0 12.12 है0 राहिन  
 शाखा नवलगढ मूर्तहीन अमितकुमार पुत्र घनश्याम हि0 0.46 है0 महेश कुमार पुत्र  
 दूत हि0 0.2050 है0 दयाराम पुत्र रामदेवसिंह हि0 0.2050 है0 जाति जाट को खातेदार  
 घोषित किया जाता है।

खातेदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त  
 रिकार्ड लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल  
 किया जावे।



मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद  
 फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।  
 तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 06 सन..2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
 उपखण्ड अधिकारी

रूपया	पैसे	मुददासलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00	
स्टाम्प अर्जी वकालतनामा	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प अर्जी	-	स्टाम्प अर्जी	-	
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-	
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-	
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	0.00	
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान		